



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट



E.Mail : eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. - 05963.253385 (O)

पत्रांक

596 / 28.

दिनांक 8 / 09 / 2019

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, बागेश्वर

विषय:-

Construction of Jarati to Reema Motor Road Proposal No
(FP/UK/ROAD/36040 / 2018)

सन्दर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून के EDS Dated 07-03-2019

महोदय,

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वनभूमि हस्तान्तरण ऑन लाइन प्रस्ताव संस्तुति सहित अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून के देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृत हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0 उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0 उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रस्ताव में आपत्तियाँ लगायी गयी हैं।

अतः बिन्दु सं0 1 से 6 में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निम्न प्रकार निराकरण कर संस्तुति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	Short narrative of the project does not give adequate information about the proposal [Online para-A- 1(iii) of Part- I] It should give comprehensive details of the project in brief.	This road starts from km 17 of Baida Majeda Jarati PMGSY motor road. And it connects revenue villages Jarati and Reema quety. Length of this road is 6 km and It helps to connects local villagers to progress by financial economic other means of well being.
2	Some other documents has been uploaded in the place of Ownership proof MOU and non encumbrance certificate at Section L (iv- f.g.h) in Form A part I.	Required documents is uploaded in ownership proof MOU and non encumbrance certificate at para I (iv-g.h) in form A Part I
3	Administrative Approval and Financial Sanction details is not clear as additional information in from A part I.	Clear copy of Administrative Approval and Financial Sanction is uploaded
4	The Certificate of aerial distance of the project area is not found uploaded in Form A part I	Certificate of aerial distance of the project area is uploaded in Form A part I.
5	Land scheduled tree list NPV calculation, District profile and CA scheme has not been uploaded as additional information Form A part II.	Related to DFO
6	Trees mention is 40 in tree list uploaded as additional information in Part I however mention 98 at 4 (ii) in Form A part II please rectify.	Related to DFO

अधिकांश अधिकारी
नि० ३३० नि० वि०, कपकोट
बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से सीमा तक 6.00 किमी० मीटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 16 किमी० है।


जनपद बागेश्वर
वन अधिकारी


34 प्रमाणित
बागेश्वर


जनपद बागेश्वर
बागेश्वर, बागेश्वर

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.00किमी०) के निर्माण में प्रभावित 1.540 है० भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 3.080 है० भूमि ग्राम बिजोरीडाल की सिविल बेनाप खाता सं० 9(3)उ० बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। जिसमें राज्य सरकार का स्वामित्व है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण विभाग
कपकोट

अधिसास अभियन्ता
निर्माण विभाग
कपकोट

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण एवं रजर्व वनभूमि घोषित करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.00किमी०) के निर्माण में प्रभावित 1.540 हे० भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 3.080 हे० भूमि ग्राम बिजोरीझाल की सिविल बेनाप खाता सं० 9(3)उ० बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। ग्राम बिजोरीझाल की सिविल बेनाप भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण व रजर्व वनभूमि घोषित करने की कार्यवाही वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कर दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं लोक निर्माण विभाग
कपकोट

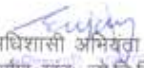
अधिसूची अभियन्ता
निर्माण एवं लोक निर्माण विभाग
कपकोट (बागेश्वर)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

परियोजना का नाम:— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.00किमी०) के निर्माण में प्रभावित 1.540 है० भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 3.080 है० भूमि ग्राम बिजोरीझाल की सिविल बेनाप खाता सं० 9(3)उ० बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। जिसमे राज्य सरकार का स्वामित्व है ग्राम बिजोरीझाल की सिविल बेनाप भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को देने में सहमत हूँ।


 सहायक अधीक्षक
 निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग
 कपकोट


 अधिशासी अभियंता
 निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग
 कपकोट

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.00किमी०) के निर्माण में स्थानीय काश्तकारों की जितनी भी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर भुगतान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं लो.नि.सू.
कपकोट


अधिसूचना अधिष्ठाता
निर्माण एवं लो.नि.सू.
कपकोट (बागेश्वर)